

ई मित्र पोर्टल पर " COVID 19 Migrant registration(कोविड 19 प्रवासी पंजीकरण) " पर क्लिक करने के बाद खुलने वाले Migrant Registration Service फॉर्म को नवीनतम बदलाव के अनुसार भरना है -

|| अतिमहत्वपूर्ण सूचना :- ई-मित्र पोर्टल पर आपके द्वारा किये गए रजिस्ट्रेशन को यात्रा करने की अनुमति न समझे। सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ करे ||

1. सर्वप्रथम Migrant Movement में अगर कोई राजस्थान में आना चाहता है तो Inward (To Rajasthan) ऑप्शन का या अगर कोई राजस्थान से बहार जाना चाहता है तो Outward (To Other State) ऑप्शन का चयन करे |

2. Source Address का मतलब होता है कि नागरिक वर्तमान में कहा पर रह रहा है और अगर आप Migrant Movement में Outward (To Other State) ऑप्शन का चयन है तो Source Address में राजस्थान का एड्रेस आयेगा |

4. Destination Address का मतलब होता है कि नागरिक कहा पर जाना है | अगर आप Migrant Movement में Inward (To Rajasthan) ऑप्शन का चयन करते है तो Destination Address में राजस्थान का एड्रेस आयेगा

5. Basic Information>Migrant-1 में आवेदक का नाम , लिंग और उम्र दर्ज करनी है अगर आवेदक के साथ कोई अन्य पारिवारिक सदस्य भी आना चाहता है तो +Add Migrant बटन पर क्लिक कर कर के सभी सदस्यों की सूचना फॉर्म में दर्ज कर देवे तथा ध्यान रहे परिवार के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ करे |

.6. Basic Information>Mobile No - में आवेदक का मोबाइल नम्बर दर्ज कर देवे ।

7. Basic Information> Own Transport Available का मतलब है कि अगर नागरिक स्वयं के साधन से आना चाहता है तो Yes पर क्लिक करे और वाहन के प्रकार (Two/Four Wheeler ) व वाहन के नम्बर की सूचना दर्ज करे । अथवा अगर आप सरकारी वाहन से आना चाहते है तो Own Transport Available में No का चयन करे ।

8. Submit बटन पर क्लिक कर अपने मोबाइल नम्बर पर आये ओटीपी नम्बर को डाल कर फॉर्म को सफलतापूर्वक सेव कर देवे ।

9. फॉर्म का वर्तमान स्टेटस आप

<http://reportsemitraapp.rajasthan.gov.in/emitraReportsApps/covid19MigrentRegistrationDetails> उपरोक्त लिंक में आवेदक के मोबाइल नम्बर या रिसिप्ट नम्बर डाल के देख सकते हो ।

नोट -

1. इस सर्विस में राजस्थान के अंदर परिवहन ( जो आमजन राजस्थान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये जाना चाहता है ) के लिये आवेदन ना करे ।

2. Movement Date का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

3. इस सेवा का शुल्क विभाग द्वारा प्रति रजिस्ट्रेशन ₹6 रुपये कमीशन दिया जायेगा और आमजन से इस सेवा का कोई शुल्क नहीं लेना है अतः अधिक से अधिक सही रजिस्ट्रेशन करे।